2019/00016

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

गुलर बनाम किसनाराम

किस्म मुकदमा 225 आरटीए

नम्बर..21...../2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	अभिभाषक अपीलांट श्री दिनेश गहलोत उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि तहसील नोखा मण्डी के खेत खसरा नम्बर 1341 रकबा 1.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 1343 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 1344 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 1345 रकबा 2.67 हेक्टर, कुल रकबा 4.10 हेक्टर अपीलांट की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या राजस्व अमला से मिली भगत करके अपीलांट की खातेदारी भूमि से सिवरेज लाईन निकालने की आड़ में अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक में है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का प्रस्तुत करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल कारित की गई है। उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है। केवल मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनाा पत्र खारिज किया गया है।	

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि अपीलांट की खातेदारी भूमि से अपीलांट को बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर ही बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित फरमाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 29–01–2019 को अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में पत्रावली के साथ संलग्न आदेशिकाओं का अवलोकन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधन आदेश दिनांक 29–01–2019 को पारित किया गया है। उक्त आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण तथ्य प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के संबंध में अपनी कोई विवेचना अंकित नहीं करते हुए मात्र सरसरी तौर पर बिना माईन्ड एप्लाई किये आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर कोई विवेचन किये बिना व प्रकरण की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलांट का स्थगन प्रार्थना व अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु पर विवेचना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तब तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथाथिति कायम रखी

Scanned by CamScanner

जावे। चूंकि पत्रावली में आगामी दिनांक 06–03–2019 नियत है अतः अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अदालत मातहत के समक्ष नियत दिनांक को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner